

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक- 15 / नि०शा० / 2021-22

०५
दिनांक-जनवरी, 2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 31/2021/1334/17-1002(099)/4/2021 दिनांक 30.12.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु शासन द्वारा मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख (रू० चार करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका ब्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क़य की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क़य विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।
- 16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- 17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0), 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (145) पर अंकित है।

भवदीया
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

०५
दिनांक—जनवरी, 2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम० एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अन्तर्गत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 31/2021/1334/17-1002(099)/4/2021 दिनांक 30.12.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अन्तर्गत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु शासन द्वारा मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख (रू० चार करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका ब्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(1।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।
- 16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- 17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0), 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (145) पर अंकित है।

भवदीया

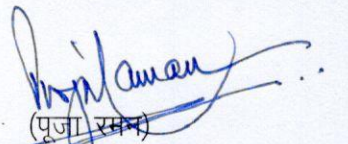
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 15 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

04

पत्रांक- 15 /नि०शा०/2021-22

दिनांक-जनवरी, 2022.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 31/2021/1334/17-1002(099)/4/2021 दिनांक 30.12.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०- 83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु शासन द्वारा मात्र राज्यांश रू० 456.89 लाख (रू० चार करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका ब्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(1।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।
- 16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- 17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से सामान्य पुरुष/ सामान्य महिला /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0), 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (145) पर अंकित है।

पत्रांक- 15 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भबदीया
वर्षा रमन
(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

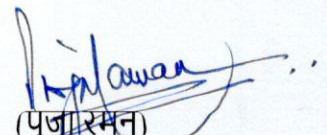
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH SEED HATCHERY SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसओवाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 5739800	600000 5739800
2	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 5710800	600000 5710800
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000 11450600	1200000 11450600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौदह लाख पचास हजार छः सौ


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-REARING TALAB NIRMAN SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रणामी	245600 3689480	245600 3689480
2	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	470600 1176500	470600 1176500
3	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	100500 429110	100500 429110
4	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	167500 418800	167500 418800
5	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	520000 6722560	520000 6722560
6	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	167500 616800	167500 616800
7	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	167500 2398800	167500 2398800
8	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	67000 2152690	67000 2152690
9	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	278300 2715100	278300 2715100
10	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी	167500 1118640	167500 1118640
	योग	वर्तमान प्रणामी	2352000 21438480	2352000 21438480

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस लाख बावन हजार

महायोग- (प्रणामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार चार सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

1

001-NEW PONDS NIRMAN SCP 02-01-2022

83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	840000 3324000	840000 3324000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	147840 1360320	147840 1360320
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	85680 899640	85680 899640
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	81820 274670	81820 274670
5	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	319200 1071600	319200 1071600
6	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	845040 4534520	845040 4534520
7	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	487200 1646400	487200 1646400
8	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	67200 225600	67200 225600
9	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	107690 361520	107690 361520
10	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	184800 620400	184800 620400
11	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	321720 1587660	321720 1587660
12	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	75430 504540	75430 504540
13	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720380 2447230	720380 2447230
14	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1639180 8361740	1639180 8361740
15	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	417980 1410430	417980 1410430
16	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	285600 1326000	285600 1326000
17	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	50400 169200	50400 169200
18	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	84000 642000	84000 642000
19	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	93740 314710	93740 314710
20	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 564000	168000 564000
21	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	101980 342350	101980 342350

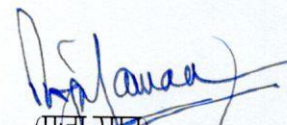
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
22	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य, --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	152880 540240	152880 540240
23	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	243410 828410	243410 828410
24	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य, --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	50400 198000	50400 198000
25	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य, --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	93910 329680	93910 329680
26	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	295680 1046640	295680 1046640
27	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	949200 3197400	949200 3197400
28	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	84000 700800	84000 700800
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	165320 581980	165320 581980
30	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गण्डा	वर्तमान प्रगामी	915600 9121800	915600 9121800
31	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	947180 3746830	947180 3746830
32	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य, --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहाराज नगर	वर्तमान प्रगामी	410760 1378980	410760 1378980
33	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	305760 1134480	305760 1134480
34	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 3238800	840000 3238800
35	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	201600 1684800	201600 1684800
36	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	397660 3869390	397660 3869390
37	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	723070 2875760	723070 2875760
38	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	157920 2312160	157920 2312160
39	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	134400 1459200	134400 1459200
40	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	126500 428290	126500 428290
41	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	107520 1226160	107520 1226160
42	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	81650 544100	81650 544100
43	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	68040 228420	68040 228420
44	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	153720 526860	153720 526860
	योग	वर्तमान प्रगामी	14731060 73187710	14731060 73187710

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया एक करोड़ सैंतालीस लाख इकतीस हजार साठ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया सात करोड़ इकतीस लाख सत्तासी हजार सात सौ दस


(पूजा सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS NIRMAN NIVESH SCP 02-01-2021
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	480000 3804000	480000 3804000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	84480 1444800	84480 1444800
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	48960 948600	48960 948600
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	46750 321420	46750 321420
5	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	182400 1254000	182400 1254000
6	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	482880 5017400	482880 5017400
7	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	278400 1924800	278400 1924800
8	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	38400 264000	38400 264000
9	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	61540 423060	61540 423060
10	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	105600 726000	105600 726000
11	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	183840 1771500	183840 1771500
12	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43100 547640	43100 547640
13	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	411650 2858880	411650 2858880
14	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	936680 9298420	936680 9298420
15	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	238850 1649280	238850 1649280
16	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	163200 1489200	163200 1489200
17	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	28800 198000	28800 198000
18	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	48000 690000	48000 690000
19	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	53570 368280	53570 368280
20	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 660000	96000 660000
21	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	58270 400620	58270 400620

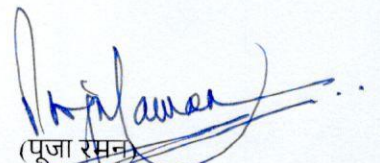
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
22	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 87360 627600	87360 627600
23	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 139200 967610	139200 967610
24	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी 28800 226800	28800 226800
25	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी 53660 383340	53660 383340
26	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 168960 1215600	168960 1215600
27	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 542400 3739800	542400 3739800
28	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 48000 748800	48000 748800
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 94460 676440	94460 676440
30	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 523200 9645000	523200 9645000
31	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 541250 4288080	541250 4288080
32	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहाराज नगर	वर्तमान प्रगामी 234720 1613700	234720 1613700
33	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 174720 1309200	174720 1309200
34	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 480000 3718800	480000 3718800
35	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 115200 1800000	115200 1800000
36	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 227230 4096620	227230 4096620
37	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 413180 3288940	413180 3288940
38	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 90240 2402400	90240 2402400
39	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 76800 1536000	76800 1536000
40	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 72290 500580	72290 500580
41	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 61440 1287600	61440 1287600
42	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 46660 590760	46660 590760
43	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 38880 267300	38880 267300
44	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 87840 614700	87840 614700
	योग	वर्तमान प्रगामी 8417860 81605570	8417860 81605570

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया चौरासी लाख सत्रह हजार आठ सौ साठ

रूपया आठ करोड़ सोलह लाख पाँच हजार पाँच सौ सत्तर



(पूजा राम)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

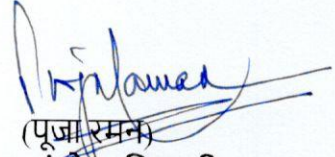
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KHARE JAL ME NEW TALAB SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 370560 1397280	370560 1397280
2	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 163200 1450800	163200 1450800
	योग	वर्तमान प्रगामी 533760 2848080	533760 2848080

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख तैंतीस हजार सात सौ साठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस लाख अड़तालीस हजार अस्सी


(पूजा रमेश)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

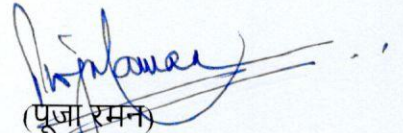
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KHARE JAL ME TALAB NIRMAN NIVESH SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 277920 1675200	277920 1675200
2	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 122400 1573200	122400 1573200
	योग	वर्तमान प्रगामी 400320 3248400	400320 3248400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख तीन सौ बीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ


(पूजा शर्मा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

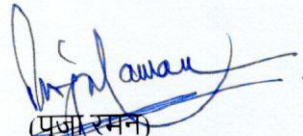
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MITHE JAL ME BIOFLAK SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 336000 4140000	336000 4140000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 336000 1780800	336000 1780800
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी 336000 1284600	336000 1284600
4	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 336000 2107500	336000 2107500
5	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1008000 10306420	1008000 10306420
6	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1344000 3633600	1344000 3633600
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी 336000 840000	336000 840000
8	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 4032000 13677000	4032000 13677000
9	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 672000 2472000	672000 2472000
10	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1680000 5776620	1680000 5776620
11	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1680000 5110800	1680000 5110800
12	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1008000 3410400	1008000 3410400
13	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1344000 4058900	1344000 4058900
14	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 672000 2208000	672000 2208000
	योग	वर्तमान प्रगामी 15120000 60806640	15120000 60806640

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ आठ लाख छः हजार छः सौ चालीस


(पूजा रमेश)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL RAS BIOFALAK SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 180000 3813600	180000 3813600
2	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 360000 903600	360000 903600
3	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी 360000 4648080	360000 4648080
4	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 180000 3468940	180000 3468940
5	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 180000 3590400	180000 3590400
6	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 180000 770760	180000 770760
	योग	वर्तमान प्रगामी 1440000 17195380	1440000 17195380

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख चालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख पंचानवे हजार तीन सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

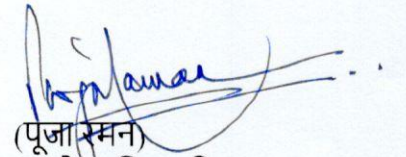
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOTER CYCLE WITH ICE BOX SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (नैर वेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 36000 1711200	36000 1711200
2	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 36000 5053400	36000 5053400
3	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 18000 45000	18000 45000
4	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 18000 48600	18000 48600
5	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 36000 90000	36000 90000
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 18000 645600	18000 645600
7	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 36000 1251600	36000 1251600
8	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 18000 694440	18000 694440
9	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 18000 4666080	18000 4666080
10	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 36000 198000	36000 198000
	योग	वर्तमान प्रगामी 270000 14403920	270000 14403920

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख सत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवालीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस


(पूजा श्रीवास्तव)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CYCLE WITH ICE BOX SCP 02-02-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

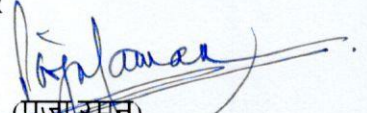
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी 14400 36000	14400 36000
2	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 14400 5667800	14400 5667800
3	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 7200 1932000	7200 1932000
4	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 2400 2109900	2400 2109900
5	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 19200 2878080	19200 2878080
6	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 31200 10337620	31200 10337620
7	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2400 51000	2400 51000
8	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी 2400 6000	2400 6000
9	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 4800 1654080	4800 1654080
10	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 4800 1494000	4800 1494000
11	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी 4800 12000	4800 12000
12	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2400 3816000	2400 3816000
13	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 7200 974810	7200 974810
14	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2400 6000	2400 6000
15	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी 19200 246000	19200 246000
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 2400 906000	2400 906000
17	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी 9600 392940	9600 392940
18	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 7200 1258800	7200 1258800

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
19	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 3747000	7200 3747000
20	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	9600 5786220	9600 5786220
21	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 3476140	7200 3476140
22	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 4061300	2400 4061300
23	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 502980	2400 502980
24	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 1585200	12000 1585200
25	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	9600 24000	9600 24000
26	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 621900	7200 621900
	योग	वर्तमान प्रगामी	216000 53583770	216000 53583770

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख सोलह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पैंतीस लाख तिरासी हजार सात सौ सत्तर


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

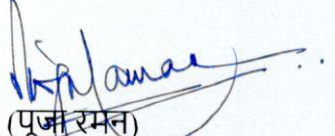
वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी 72000 1356600	72000 1356600
2	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 72000 5739800	72000 5739800
3	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 72000 1381200	72000 1381200
4	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 72000 270000	72000 270000
	योग	वर्तमान प्रगामी 288000 8747600	288000 8747600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख अठासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तासी लाख सैंतालीस हजार छः सौ


(पू. ज. राम)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/01/2022

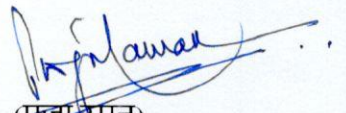
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KIYOSK SCP 02-01-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 240000 2020800	240000 2020800
2	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 240000 1734000	240000 1734000
3	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 240000 930000	240000 930000
	योग	वर्तमान प्रगामी 720000 4684800	720000 4684800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियालीस लाख चौरासी हजार आठ सौ


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाईडी) 2020-21
मत्स्य बीज हैचरी / 25.0 lacs/ unit
 अनु० जाति लाभार्थी (रु० लाख में) **Annexure-01**

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से			वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल मैचिंग राज्यांश हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00
2	सोनभद्र	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00	6.00
	प्रदेश योग	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00	12.00

18

एनेकजर -

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020.21

क्र० सं०	जनपद	रियरिंग तालाब निर्माण / Rs. 7.0 lacs/hectare							
		अनु० जाति लाभार्थी (क्रियान्वयन वर्ष 2021-22)							
		जनपदों से प्राप्त कुल प्रस्ताव (क्षेत्रों)	2020-21 के लिये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षेत्रों)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैथिल राज्यंश
1	2	3	4	5	6	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	आगरा	1.466	1.462	10.233	6.140	3.684	2.456	3.684	2.456
2	फिरोजाबाद	0.400	0.399	2.792	1.675	1.005	0.670	1.005	0.670
3	मैनपुरी	2.809	2.801	19.608	11.765	7.059	4.706	7.059	4.706
4	हाथरस	1.000	0.997	6.981	4.188	2.513	1.675	2.513	1.675
5	इटवा	2.104	2.098	14.687	8.812	5.287	3.525	5.287	3.525
6	औरैया	1.000	0.997	6.981	4.188	2.513	1.675	2.513	1.675
7	ललितपुर	1.000	0.997	6.981	4.188	2.513	1.675	2.513	1.675
8	पीलीभीत	0.600	0.598	4.188	2.513	1.508	1.005	1.508	1.005
9	रामपुर	1.000	0.997	6.981	4.188	2.513	1.675	2.513	1.675
10	लखीमपुरखीरी	1.000	0.997	6.981	4.188	2.513	1.675	2.513	1.675
11	भदोही	1.660	1.655	11.588	6.953	4.170	2.783	4.170	2.783
	प्रदेश योग	14.039	14.000	98.000	58.800	35.278	23.52	35.280	23.520

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	नये तालाबों का निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare						
		अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि/टी० पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	5.030	35.210	21.1260	12.6756	8.4504	12.6756	8.4504
2	फिरोजाबाद	4.304	30.128	18.0768	10.8461	7.2307	10.8461	7.2307
3	अलीगढ़	1.900	13.300	7.9800	4.7880	3.1920	4.7880	3.1920
4	हाथरस	0.640	4.480	2.6880	1.6128	1.0752	1.6128	1.0752
5	एटा	0.500	3.500	2.1000	1.2600	0.8400	1.2600	0.8400
6	कासगंज	2.400	16.800	10.0800	6.0480	4.0320	6.0480	4.0320
7	मऊ	2.367	16.569	9.9414	5.9648	3.9766	5.9648	3.9766
8	बलिया	0.300	2.100	1.2600	0.7560	0.5040	0.7560	0.5040
9	प्रयागराज	1.700	11.900	7.1400	4.2840	2.8560	4.2840	2.8560
10	फतेहपुर	2.488	17.416	10.4496	6.2698	4.1798	6.2698	4.1798
11	प्रतापगढ़	0.300	2.100	1.2600	0.7560	0.5040	0.7560	0.5040
12	इटवा	5.657	39.599	23.7594	14.2556	9.5038	14.2556	9.5038
13	औरैया	4.100	28.700	17.2200	10.3320	6.8880	10.3320	6.8880
14	फर्रुखाबाद	1.423	9.961	5.9766	3.5860	2.3906	3.5860	2.3906
15	कन्नौज	2.865	20.055	12.0330	7.2198	4.8132	7.2198	4.8132
16	महाराजगंज	0.940	6.580	3.9480	2.3688	1.5792	2.3688	1.5792
17	देवरिया	0.910	6.370	3.8220	2.2932	1.5288	2.2932	1.5288
18	कुशीनगर	0.800	5.600	3.3600	2.0160	1.3440	2.0160	1.3440
19	हमीरपुर	1.000	7.000	4.2000	2.5200	1.6800	2.5200	1.6800
20	झाँसी	0.500	3.500	2.1000	1.2600	0.8400	1.2600	0.8400
21	जालौन	0.558	3.906	2.3436	1.4062	0.9374	1.4062	0.9374
22	ललितपुर	5.000	35.000	21.0000	12.6000	8.4000	12.6000	8.4000
23	गोण्डा	5.450	38.150	22.8900	13.7340	9.1560	13.7340	9.1560
24	बलरामपुर	0.486	3.402	2.0412	1.2247	0.8165	1.2247	0.8165
25	बहराइच	1.820	12.740	7.6440	4.5864	3.0576	4.5864	3.0576
26	श्रावस्ती	0.405	2.835	1.7010	1.0206	0.6804	1.0206	0.6804
27	अयोध्या	0.984	6.888	4.1328	2.4796	1.6532	2.4796	1.6532

क्र०	जनपद	नये तालाबों का निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare						
		अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी० पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश
1	2	3	4	5	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
28	अमेठी	2.445	17.115	10.2690	6.1614	4.1076	6.1614	4.1076
29	बाराबंकी	5.638	39.466	23.6796	14.2078	9.4718	14.2078	9.4718
30	बदायूँ	0.400	2.800	1.6800	1.0080	0.6720	1.0080	0.6720
31	शाहजहाँपुर	1.915	13.405	8.0430	4.8258	3.2172	4.8258	3.2172
32	पीलीभीत	0.449	3.143	1.8858	1.1315	0.7543	1.1315	0.7543
33	बस्ती	1.450	10.150	6.0900	3.6540	2.4360	3.6540	2.4341
34	मेरठ	0.880	6.160	3.6960	2.2176	1.4784	2.2176	1.4784
35	हापुड़	0.510	3.570	2.1420	1.2852	0.8568	1.2852	0.8568
36	गाजियाबाद	1.200	8.400	5.0400	3.0240	2.0160	3.0240	2.0160
37	बुलन्दशहर	0.487	3.409	2.0454	1.2272	0.8182	1.2272	0.8182
38	मुरादाबाद	0.641	4.487	2.6922	1.6153	1.0769	1.6153	1.0769
39	अमरोहा	0.915	6.405	3.8430	2.3058	1.5372	2.3058	1.5372
40	सम्भल	1.100	7.700	4.6200	2.7720	1.8480	2.7720	1.8480
41	रायबरेली	0.559	3.913	2.3478	1.4087	0.9391	1.4087	0.9391
42	सीतापुर	1.760	12.320	7.3920	4.4352	2.9568	4.4352	2.9568
43	हरदोई	5.650	39.550	23.7300	14.2380	9.4920	14.2380	9.4920
44	लखीमपुरखीर	0.500	3.500	2.1000	1.2600	0.8400	1.2600	0.8400
45	चन्दौली	0.753	5.271	3.1626	1.8976	1.2650	1.8976	1.2650
46	गाजीपुर	0.607	4.249	2.5494	1.5296	1.0198	1.5296	1.0198
47	सहारनपुर	5.000	35.000	21.0000	12.6000	8.4000	12.6000	8.4000
	प्रदेश योग	87.686	613.802	368.2812	220.9687	147.3125	220.9687	147.3106

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare						
		अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	5.030	20.120	12.0720	7.2432	4.8288	7.2432	4.8288
2	फिरोजाबाद	4.304	17.216	10.3296	6.1978	4.1318	6.1978	4.1318
3	अलीगढ़	1.900	7.600	4.5600	2.7360	1.8240	2.7360	1.8240
4	हाथरस	0.640	2.560	1.5360	0.9216	0.6144	0.9216	0.6144
5	एटा	0.500	2.000	1.2000	0.7200	0.4800	0.7200	0.4800
6	कासगंज	2.400	9.600	5.7600	3.4560	2.3040	3.4560	2.3040
7	मऊ	2.367	9.468	5.6808	3.4085	2.2723	3.4085	2.2723
8	बलिया	0.300	1.200	0.7200	0.4320	0.2880	0.4320	0.2880
9	प्रयागराज	1.700	6.800	4.0800	2.4480	1.6320	2.4480	1.6320
10	फतेहपुर	2.488	9.952	5.9712	3.5827	2.3885	3.5827	2.3885
11	प्रतापगढ़	0.300	1.200	0.7200	0.4320	0.2880	0.4320	0.2880
12	इटवा	5.657	22.628	13.5768	8.1460	5.4308	8.1460	5.4308
13	औरैया	4.100	16.400	9.8400	5.9040	3.9360	5.9040	3.9360
14	फर्रुखाबाद	1.423	5.692	3.4152	2.0491	1.3661	2.0491	1.3661
15	कन्नौज	2.865	11.460	6.8760	4.1256	2.7504	4.1256	2.7504
16	महाराजगंज	0.940	3.760	2.2560	1.3536	0.9024	1.3536	0.9024
17	देवरिया	0.910	3.640	2.1840	1.3104	0.8736	1.3104	0.8736
18	कुशीनगर	0.800	3.200	1.9200	1.1520	0.7680	1.1520	0.7680
19	हमीरपुर	1.000	4.000	2.4000	1.4400	0.9600	1.4400	0.9600
20	झाँसी	0.500	2.000	1.2000	0.7200	0.4800	0.7200	0.4800
21	जालौन	0.558	2.232	1.3392	0.8035	0.5357	0.8035	0.5357
22	ललितपुर	5.000	20.000	12.0000	7.2000	4.8000	7.2000	4.8000
23	गोण्डा	5.450	21.800	13.0800	7.8480	5.2320	7.8480	5.2320
24	बलरामपुर	0.486	1.944	1.1664	0.6998	0.4666	0.6998	0.4666
25	बहराइच	1.820	7.280	4.3680	2.6208	1.7472	2.6208	1.7472
26	श्रावस्ती	0.405	1.620	0.9720	0.5832	0.3888	0.5832	0.3888
27	अयोध्या	0.984	3.936	2.3616	1.4170	0.9446	1.4170	0.9446

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare						
		अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	अमेठी	2.445	9.780	5.8680	3.5208	2.3472	3.5208	2.3472
29	बाराबंकी	5.638	22.552	13.5312	8.1187	5.4125	8.1187	5.4125
30	बदायूँ	0.400	1.600	0.9600	0.5760	0.3840	0.5760	0.3840
31	शाहजहाँपुर	1.915	7.660	4.5960	2.7576	1.8384	2.7576	1.8384
32	पीलीभीत	0.449	1.796	1.0776	0.6466	0.4310	0.6466	0.4310
33	बस्ती	1.450	5.800	3.4800	2.0880	1.3920	2.0880	1.3920
34	मेरठ	0.880	3.520	2.1120	1.2672	0.8448	1.2672	0.8448
35	हापुड़	0.510	2.040	1.2240	0.7344	0.4896	0.7344	0.4896
36	गाजियाबाद	1.200	4.800	2.8800	1.7280	1.1520	1.7280	1.1520
37	बुलन्दशहर	0.487	1.948	1.1688	0.7013	0.4675	0.7013	0.4675
38	मुरादाबाद	0.641	2.564	1.5384	0.9230	0.6154	0.9230	0.6154
39	अमरोहा	0.915	3.660	2.1960	1.3176	0.8784	1.3176	0.8784
40	सम्भल	1.100	4.400	2.6400	1.5840	1.0560	1.5840	1.0560
41	रायबरेली	0.559	2.236	1.3416	0.8050	0.5366	0.8050	0.5366
42	सीतापुर	1.760	7.040	4.2240	2.5344	1.6896	2.5344	1.6896
43	हरदोई	5.650	22.600	13.5600	8.1360	5.4240	8.1360	5.4240
44	लखीमपुरखीरी	0.500	2.000	1.2000	0.7200	0.4800	0.7200	0.4800
45	चन्दौली	0.753	3.012	1.8072	1.0843	0.7229	1.0843	0.7229
46	गाजीपुर	0.607	2.428	1.4568	0.8741	0.5827	0.8741	0.5827
47	सहारनपुर	5.000	20.000	12.0000	7.2000	4.8000	7.2000	4.8000
	प्रदेश योग	87.686	350.744	210.4464	126.2678	84.1786	126.2678	84.1786

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020.21

एनेकजर-5

खारे जल में नये तालाब निर्माण (रु० 8.00लाख/हे०)									
अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)									
क०	जनपद	डी०एल०सी० से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षे०हे०)	2020-21 के लिये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षे०हे०)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रु० लाख में)		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष सैविंग राज्यांश
						केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मधुरा	1.930	1.930	15.440	9.2640	5.5584	3.7056	5.5584	3.7056
2	हाथरस	0.850	0.850	6.800	4.0800	2.4480	1.6320	2.4480	1.6320
	कुलयोग	2.780	2.780	22.240	13.3440	8.0064	5.3376	8.0064	5.3376

४

५

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020.21

एनेक्जर-6

खारे जल हेतु नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश (रु0 6.00 लाख/हे0)										
अनु0 जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)										
क0	जनपद	डी0एल0सी0 से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षे0हे0)	2020-21 के लिये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षे0हे0)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रु0 लाख में)		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष सैशिंग राज्यांश	
						केन्द्रांश	राज्यांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	मथुरा	1.930	1.930	11.580	6.9480	4.1688	2.7792	4.1688	2.7792	
2	हार्द्वरस	0.850	0.850	5.100	3.0600	1.8360	1.2240	1.8360	1.2240	
	कुलयोग	2.780	2.780	16.680	10.0080	6.0048	4.0032	6.0048	4.0032	

2

2

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/(0.1)hectare						
		अनु० जाति लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)						
		संख्या	धनराशि/ट 10पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश	2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मऊ	5	70.000	42.0000	25.2000	16.8000	25.2000	16.8000
2	औरैया	3	42.000	25.2000	15.1200	10.0800	15.1200	10.0800
3	महाराजगंज	3	42.000	25.2000	15.1200	10.0800	15.1200	10.0800
4	कुशीनगर	2	28.000	16.8000	10.0800	6.7200	10.0800	6.7200
5	गोण्डा	12	168.000	100.8000	60.4800	40.3200	60.4800	40.3200
6	शाहजहाँपुर	1	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	5.0400	3.3600
7	मेरठ	1	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	5.0400	3.3600
8	हापुड़	1	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	5.0400	3.3600
9	गाजियाबाद	2	28.000	16.8000	10.0800	6.7200	10.0800	6.7200
10	उन्नाव	1	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	5.0400	3.3600
11	मिर्जापुर	4	56.000	33.6000	20.1600	13.4400	20.1600	13.4400
12	सोनभद्र	5	70.000	42.0000	25.2000	16.8000	25.2000	16.8000
13	भदोही	4	56.000	33.6000	20.1600	13.4400	20.1600	13.4400
14	सहारनपुर	1	14.000	8.4000	5.0400	3.3600	5.0400	3.3600
	प्रदेश योग	45	630.000	378.0000	226.8000	151.2000	226.8000	151.2000

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसडीएसवाई) 2020-21
लघु आर0ए0एस0 वायोफलाक / Rs. 7.50 lacs/unit

Annexure-08

अनु0 जाति लाभार्थी (रु0 लाख में)								
क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश	वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश के सापेक्ष मैदिय राज्यांश हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिशोजवादा	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70	1.80
2	महाराजगंज	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70	1.80
3	बलरामपुर	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70	1.80
4	बाराबंकी	2	15.00	9.00	5.40	3.60	5.40	3.60
5	लखनऊ	2	15.00	9.00	5.40	3.60	5.40	3.60
6	मिर्जापुर	1	7.50	4.50	2.70	1.80	2.70	1.80
	प्रदेश योग	8	60.00	36.00	21.60	14.40	21.60	14.40

19

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसबी) 2020-21
मोटर सार्किल विथ आइस बॉक्स / Rs. 0.75 lacs/unit Annexure-09
अनु० जाति लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से			राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश	वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश के सापेक्ष मीनिंग राज्यांश हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	आगरा	2	1.50	0.90	0.54	0.36	0.54		0.36
2	मथुरा	2	1.50	0.90	0.54	0.36	0.54		0.36
3	कानपुर नगर	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.27		0.18
4	देवरिया	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.27		0.18
5	अयोध्या	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.27		0.18
6	बाराबंकी	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.27		0.18
7	बरेली	1	0.75	0.45	0.27	0.18	0.27		0.18
8	गौतमबुद्धनगर	2	1.50	0.90	0.54	0.36	0.54		0.36
9	सीतापुर	2	1.50	0.90	0.54	0.36	0.54		0.36
10	वाराणसी	2	1.50	0.90	0.54	0.36	0.54		0.36
	प्रदेश योग	15	11.25	6.75	4.05	2.70	4.05		2.70

64

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) 2020-21
सार्वकल विथ आइस वॉक्स / Rs. 0.10 lacs/unit

अनु जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुपेक्षित कुल केन्द्रांश	वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुपेक्षित कुल केन्द्रांश के सापेक्ष मौखिक राज्यराशि हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	6	0.600	0.360	0.216	0.144	0.216	0.144
2	फिरोजाबाद	3	0.300	0.180	0.108	0.072	0.108	0.072
3	हथरस	5	0.500	0.300	0.180	0.120	0.180	0.120
4	एटा	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
5	कासगंज	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.072	0.048
6	आजमगढ़	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
7	मऊ	4	0.400	0.240	0.144	0.096	0.144	0.096
8	बलिया	8	0.800	0.480	0.288	0.192	0.288	0.192
9	प्रयागराज	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.072	0.048
10	कौशाम्बी	4	0.400	0.240	0.144	0.096	0.144	0.096
11	फतेहपुर	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.072	0.048
12	कानपुर नगर	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
13	कानपुरदेहात	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
14	इटावा	9	0.900	0.540	0.324	0.216	0.324	0.216
15	औरंगा	4	0.400	0.240	0.144	0.096	0.144	0.096
16	फर्रुखाबाद	7	0.700	0.420	0.252	0.168	0.252	0.168
17	कन्नौज	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
18	शाहजहाँपुर	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
19	बस्ती	3	0.300	0.180	0.108	0.072	0.108	0.072
20	बागपत	6	0.600	0.360	0.216	0.144	0.216	0.144
21	अमरोहा	3	0.300	0.180	0.108	0.072	0.108	0.072
22	तखनऊ	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
23	रायबरेली	4	0.400	0.240	0.144	0.096	0.144	0.096
24	हरदोई	3	0.300	0.180	0.108	0.072	0.108	0.072
25	चन्दौली	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
26	जौनपुर	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.072	0.048
27	मिर्जापुर	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
28	सोनभद्र	3	0.300	0.180	0.108	0.072	0.108	0.072
29	मदौही	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.036	0.024
	प्रदेश योग	90	9.000	5.400	3.240	2.160	3.240	2.160

रुनकर-10

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाईओ) 2020-21
श्री क्लिंर विथ आइस वॉक्स / Rs. 3.0 lacs/unit cost Annexure-11

अनु० जाति लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश	वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश के सापेक्ष सैरिंग राज्यांश हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08	0.72
2	बहराइच	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08	0.72
3	हापड़	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08	0.72
4	गौतमबुद्धनगर	1	3.00	1.80	1.08	0.72	1.08	0.72
	प्रदेश योग	4	12.00	7.20	4.32	2.88	4.32	2.88

अ

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमओएसवाई0) 2020-21

क्रियेस्क / Rs. 10.00 lacs/unit

Annexure-12

अनु0 जाति लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश	वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अवमुक्त कुल केन्द्रांश के सापेक्ष मैरिंग राज्यांश हेतु प्रस्तावित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रयागराज	1	10.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40
2	झॉसी	1	10.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40
3	मेरठ	1	10.00	6.00	3.60	2.40	3.60	2.40
	प्रदेश योग	3	30.00	18.00	10.80	7.20	10.80	7.20

संख्या: 31/2021/ 1334/17-1002(099)/4/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उओप्रओ लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएमओ एसओवाईओ) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति रु० 685.3377 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु० 456.89 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-555/निओशाओ/2021-22/16-19(6) दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएमओ एसओवाईओ) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति रु० 685.3377 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु० 456.8919 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त /अवशेष कुल केन्द्रांश रु० 685.86 लाख (रु० 419.00 लाख एवं रु० 266.86 लाख) के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रु० 685.86 लाख को भारत सरकार के पत्रांक जे/18001/1/2017/एफओवाईओ(ईओ-4611) दिनांक 04.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने हेतु पुनर्विध कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएमओ एसओवाईओ) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या- 18/2021/820/17-1002 (099) /4/2021 दिनांक 04.08.2021 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश धनराशि रु० 685.3377 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल रु० 1851.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त वर्तमान में रु० 1166.6323 लाख का बजट शेष है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीओएमओएमओ एसओवाईओ) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति रु० 685.3377 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु० 456.89 लाख (रु० चार करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 12 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कृपा शंकर यादव
31/12/2021

(2)

तालिका

इकाई (रु० लाख में)

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के०36 + रा०24 + ला०- 40.के.+रा.)	इकाई (हे० /सं०)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			वर्ष 2020 -21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में निर्गत मात्र केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मैचिंग राज्यांश की धनराशि		अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फिनफिश हेचरियो की स्थापना	2	25.00	50.00	18.00	12.00	20.00	12.0000	12.0000	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या- 555 / नि०शा० /2021- 22/ 16-19(6) दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट / संलग्नकों के अनुसार।
2	नये रियरिंग तालाबों का निर्माण	14	7.00	98.00	35.28	23.52	39.20	23.5200	23.5200	
3	नये तालाबों का निर्माण	87.686	7.00	613.802	220.969	147.312	245.521	147.3125	147.3125	
4	मीठे जल में मत्स्य पालन हेतु निवेश	87.686	4.00	350.744	126.268	84.179	140.298	84.1786	84.1786	
5	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	3	8.00	24.00	8.64	5.76	9.60	5.3376	5.3376	
6	खारेपानी में तालाबों में निवेश	3	6.00	18.00	6.48	4.32	7.20	4.0032	4.0032	
7	मीठे जल में वायोफ्लाक तालाबों का निर्माण	45	14.00	630.00	226.80	151.20	252.00	151.2000	151.2000	
8	लघु आर०ए०एस०/ वायोफ्लाक का निर्माण	8	7.50	60.00	21.60	14.40	24.00	14.4000	14.4000	
9	मोटर साइकिल विद आइस वाक्स	15	0.75	11.25	4.05	2.70	4.50	2.7000	2.7000	
10	साइकिलविद आइसवाक्स	90	0.10	9.00	3.24	2.16	3.60	2.1600	2.1600	
11	श्री व्हीलर विद आइसवाक्स	11	3.00	33.00	11.88	7.92	13.20	2.8800	2.8800	
12	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	3	10.00	30.00	10.80	7.20	12.00	7.2000	7.2000	
योग-								456.89	456.89	

(रु० चार करोड छप्पन लाख नवासी हजार मात्र)

- (1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(3)

- (3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
- (4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (5) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।
- (6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
- (14) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- (15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

- (16) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04. -के प्रस्तर 20203 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डीप्लेटफार्म 0वी0टी0 का उपयोग करने तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन पी0एफ0एम0एस0 सुनिश्चित किया जाय।
- (17) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (18) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (19) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- ई-1-3408-दस-2021-22 दिनांक 24.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव

Date: 30-12-2021 17:26:33

Reason: Approved
(कृपा शंकर यादव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> में मत्यापित की जा सकती है।

(5)

संख्या- 31 /2021/ 1334(1)/ 17-1002(099)/4/2021 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन 30प्र0 लखनऊ।
- 4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
- 9- गार्ड फाइल।